

मंडल कार्यालय आदेश 13/2025

L.N.393-W/M-/Instruction/0/Vol-III

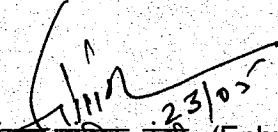
Date - 23.05.2025

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्रू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेडतारोड
समस्त लोको पायलट, लोको पायलट शंटर एवम सहायक लोको पायलट

विषय: सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए निर्देश**संदर्भ - RB L.no-2024/M(W)-II/509/1 Date-08.05.2025**

उपरोक्त विषय और संदर्भित पत्र की अनुपालना के तहत सभी मुख्य लोको निरीक्षक अपने नामित व अन्य रनिंग स्टाफ को निम्न बिन्दुओं पर काउन्सलिंग करे तथा अपने नामित सभी ALP को RS./ आपातकालीन वाल्व ऑपरेट करने का अभ्यास करवाए तथा मण्डल कार्यालय में रिपोर्ट जमा करवाए।

1. जब आवश्यक हो तो ALP को बिना किसी हिचकिचाहट के आपातकालीन ब्रेक का उपयोग करना चाहिए।
2. यदि ALP को लगता है कि लोको पायलट ट्रेन को अधिक गति से चला रहा है तो ट्रेन को रोकने के लिए पहले से RS/आपातकालीन वाल्व को ऑपरेट करना चाहिए।
3. ALP को याई, सिकलाइन आदि जगह पर वास्तविक परीक्षण (Actual Trial) के माध्यम से रनिंग लोकोमोटिव पर RS./ आपातकालीन वाल्व ऑपरेट करने का अभ्यास करवाए, ताकि लोकोमोटिव पर कार्य करते समय इस प्रकार की किसी भी स्थिति का सामना आत्मविश्वास पूर्वक किया जा सके तथा प्रतिमाह इसकी डिटेल देवे।
4. क्रू द्वारा ट्रेन संचालन के दौरान देखी गई किसी भी अनियमितता को तुरंत CMS में फीड किया जाए और अपने नामित लोको निरीक्षक को भी सूचित करें।


वरि. मंडल यंत्रिक इंजी. (Enhm&P)

उ.प. रेलवे, जोधपुर

प्रतिलिपि- अपर मंडल रेल प्रबन्धक, सादर सूचनार्थ

स.म.या.इंजी. (शक्ति), आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ